FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर मुकाम अलवर

उनवान सरकार जरिये तहसीलदार बहरोड़ **बनाम** जल्लो वगै0

किस्म मुकदमा रैफरेंस प्रा.पत्र **नम्बर** 15/01/2021 **दायर दिनांक**– 01.03.2021

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2021	आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली मान. न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के 858 दिनांक 01.02.2021 के माध्यम से दिनांक 22.01.2021 को निर्णय उपरांत प्राप्त हुई। मान. न्यायालय द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ लोटाया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 26 जी के अन्तर्गत सेटलमेंट कमीश्नर एवं निदेशक भू अभिलेख की समस्त शक्तियां संभागीय आयुक्तों को प्रदत्त है, ऐसी स्थिति में उक्त रैफरेंस संभागीय आयुक्त को निदेशक भू अभिलेख के क्षेत्राधिकार में प्रेषित किया जाना चाहिए था। जिसे वह उचित समझते तो मण्डल को प्रेषित कर सकते थे। अति0 जिला कलक्टर द्वारा प्रेषित वर्तमान रैफरेंस की सुनवाई मण्डल द्वारा किया जाना विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत संभव नहीं है। मान. न्यायालय द्वारा यह भी निर्देशित किया है कि उक्त रैफरेंस को केवल निदेशक भू अभिलेख के माध्यम से पुनः को मण्डल को प्रेषित कर सकते है। अतः मान. न्यायालय के आदेश की अनुपालना में रैफरेंस प्रकरण मान. न्यायालय सेटलमेंट कमीश्नर एवं निदेशक भू अभिलेख, संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होवें। 10/03/2021 अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)	